

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02. त०शि०/योजना-01/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में JSHEC, JCSTI, JSFDA एवं अन्य के लिए नये भवन के निर्माण कार्य के निमित्त प्राक्कलित राशि रू० 8,71,61,000/- (रू० आठ करोड़ एकहत्तर लाख एकसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत Jharkhand State Higher Education Council (JSHEC), Jharkhand Council on Science, Technology & Innovation (JCSTI), Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA), Jharkhand State Research, Innovation & Start up Promotion Board संस्थाएँ संचालित है। उक्त संस्थाओं हेतु समर्पित कार्यालय के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में पृथक भवन के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 108 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2435 (नि०) दिनांक 25.09.2024 द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में नये भवन के निर्माण कार्य की तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 656/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 285 दिनांक 25.09.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू० 8,71,61,000/- (रू० आठ करोड़ एकहत्तर लाख एकसठ हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र०	अवयव के नाम	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Main Building (G+3)	5,71,97,510.00
2	Road, Parking, Drain, Horticulture & Site Leveling	16,22,900.00
3	Lift	16,83,443.00
4	Furniture (Building)	85,72,900.00
	Total Cost (A)	6,90,76,753.00
	Add 18% for GST on 'A'	1,24,33,815.00
	Total (B)	8,15,10,568.00
	Add 1% for Labour Cess on 'B'	8,15,105.00
	Agency Charges for JSBCCL	48,35,373.00
	Grand Total	8,71,61,046.94
	Say	8,71,61,000.00

(रू० आठ करोड़ एकहत्तर लाख एकसठ हजार)

अतः उक्त के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नामकुम के परिसर में JSHEC, JCSTI, JSFDA एवं अन्य के लिए नये भवन के निर्माण कार्य के निमित्त प्राक्कलित राशि रू० 8,71,61,000/- (रू० आठ करोड़ एकहत्तर लाख एकसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।
- (ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।
3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।

4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से एक वर्ष होगी।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
8. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् प्रमुख के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
9. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में की जायेगी।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-01/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-01/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-01/2024/29/योजना

/राँची, दिनांक:- 14.10.2024

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/जोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभावी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव